

कार्यालय संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य

क्रमांक/शिक्षा.स्था.3/1882

उज्जैन संभाग उज्जैन
/मा.शि./2021/

उज्जैन दिनांक 29-12-2021

//आदेश//

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 24.06.2021 को जारी किया गया। इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद पर हिन्दी विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

Sr	NAME	ADDRESS	ROLLNO	RANK	CATEGORY	SELECTED CATAGORY	POSTING PLACE	DISTRICT-BLOCK
1	SUNITA	518 BADA MANDIR VILLAGE SUVAKHEDA TEHSIL JAWAD JAWAD NEM MADHYA PRADESH 458330	85028146	58	UR	UR/X/F	MS SAILANANO. 1-23200604517	RATLAM- SAILANA
2	PRITI	VILLAGE JAJEPURA POST PHOOP THANA PHOOP BHIND BHD MADHYA PRADESH 477555	84762560	63	EWS	UR/X/F	HSS GIRLS SAILANA- 23200624504	RATLAM- SAILANA
3	NIDHI VISHWAKAR MA	115 LIG VIKAS NAGAR LIG VIKAS NAGAR DEWAS DEW MADHYA PRADESH 455001	85127522	88	OBC	OBC/X/F	MS SAILANANO. 2-23200604513	RATLAM- SAILANA
4	KAVITA VYAS	41 THAKUR BASTI VILLAGE DHABLA SONDHIYA TEHSIL BAROD AGM MADHYA PRADESH 465441	85109032	122	EWS	EWS/X/F	MS CHAWDAKHEDI- 23200607001	RATLAM- SAILANA
5	BHARTI RATHOR	VILLAGE BADKUA POST BHADWA TEH MANASA MANASA NEM MADHYA PRADESH 458113	85022329	133	OBC	OBC/X/F	HSS GIRL BAJNA- 23200299903	RATLAM- BAJNA
6	RADHA RATHORE	WARD NO 9 CHANAK CHOWK SOYATKALAN SUSNER AGM MADHYA PRADESH 465440	84885039	161	OBC	OBC/X/F	BMS RAOTI- 23200218609	RATLAM- BAJNA
7	JUJHAR GIR GOSWAMI	002 SUNTHI SUNTHI SITAMAU MND MADHYA PRADESH 458558	85013887	193	OBC	OBC/X/OP	H S Dabdi- 23200221904	RATLAM- BAJNA

km

8	SAPNA ARORA	11 RAJASWA COLONY FREEGANJ UJJAIN UJJ MADHYA PRADESH 456010	85110514	197	OBC	OBC/X/F	MS GIRLS SARVAN- 23200603106	RATLAM- SAILANA
9	KIRTI KUMARI SHARMA	KARADIYA MAHARAJ JEERAN NEEMUCH JEERAN NEM MADHYA PRADESH 458441	85027697	204	EWS	EWS/X/F	MS KOTADA- 23200604602	RATLAM- SAILANA
10	MANISHA MEWADA	124 WARD NO 3 AKODIA SHUJALPUR SJP MADHYA PRADESH 465223	85126206	381	OBC	GF/OBC/X/F	MS GIRLS SARVAN- 23200603106	RATLAM- SAILANA
11	SONU MALVIYA	49 NAYAPURA KANJARDA MANASA NEM MADHYA PRADESH 458110	85021872	430	OBC	GF/OBC/X/F	HS BHAMAT- 23200615704	RATLAM- SAILANA
12	BAPULAL SOLANKI	WARD 19 NAGAR PIPLIYA NAGAR PIPLIYA MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458556	85027756	451	SC	GF/SC/X/OP	MS BABDI- 23200620502	RATLAM- SAILANA
13	REENA BUNKAR	64 JAMUNIYA KHURD JAMUNIYA KHURD NEEMUCH NEM MADHYA PRADESH 458441	85027753	473	SC	SC/X/F	H S Gadavadiya- 23200221804	RATLAM- BAJNA
14	CHANCHAL	GRAM NEW CLOTH MARKET RAOTI RATLAM RATLAM RAT MADHYA PRADESH 457001	85036860	497	OBC	GF/OBC/X/F	MS CHAWDAKHEDI- 23200607001	RATLAM- SAILANA
15	MANJU	VILL SANDHARA POST SANDHARA SANDHARA BHANPURA MND MADHYA PRADESH 458775	85013217	579	OBC	GF/OBC/X/F	MS TALAB BORDI- 23200619702	RATLAM- SAILANA
16	SAVITA SHAKYAWAR	T-1, 297 VAISHNAV APPT. SARVADHARM B- SECTOR KOLAR ROAD BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462042	84666724	956	SC	SC/X/F	MS KAPASIYA- 23200608102	RATLAM- SAILANA
17	MAMTA VERMA	0 BUDHA BUDHA MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458556	85022146	1406	SC	SC/X/F	MS SAKRAWADA- 23200605604	RATLAM- SAILANA
18	POOJA MEHAR	47 MALVIYA MOHALLA NANA BAZAR MACHALPUR TEHSIL ZIRAPUR RJH MADHYA PRADESH 465693	84886505	1442	SC	SC/X/F	H S Tamboliya- 23200221704	RATLAM- BAJNA
19	SUNITA NAKWAL	8 MADARPURA MADARPURA MANDSAUR MND MADHYA PRADESH 458001	85013914	1714	SC	SC/X/F	MS BARDA- 23200613102	RATLAM- SAILANA

20	MUKESH KUMAR PARIHAR	56 CHAMPAKHEDI CHAMPAKHEDI SUWASRA MND MADHYA PRADESH 458888	85017915	2010	SC	SC/X/OP	MS BASINDRA-23200621803	RATLAM-SAILANA
21	PRITI CHAUHAN	379 WARD NO.1 MILL ROAD VILL. GOGAPUR MAHIDPUR ROAD UJJ MADHYA PRADESH 456440	85030815	2409	SC	SC/X/F	MS GRILS BERDA-23200612203	RATLAM-SAILANA
22	SURESH KUMAR	GRAM HANUMANTIYA POST HANUMANTIYA TEHSIL JAORA HANUMANTIYA RAT MADHYA PRADESH 457339	85031459	3153	ST	ST/X/OP	HSS GIRLS RAOTI-23200218617	RATLAM-BAJNA

3. उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छठवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800-103600 के न्यूनतम वेतन रूपये 32800/- . अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क. (ब) के अनुक्रम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वृत्तनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।

4. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है । परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक न करने पर म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी ।

5. संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के नुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों /कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी ।

6. संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी । माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे । अभिलेखों का सम्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है :-

I. नियुक्ति आदेश

- 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाई नंबर, ई-मेल एड्रेस
- II. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं EWS)
- III. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- IV. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र—न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैद्य प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है । अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
- V. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
- VI. शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति
- VII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- VIII. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोरकार्ड
- IX. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट-एक)

7. संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे । नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं इसक किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा ।

9. परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा ।

10. परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी ।

11. संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्य स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ।



12. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।
13. आवासीय विद्यालयों में जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।
14. संबंधित अभ्यर्थी के पदस्थ संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की दशा में जिले में अन्य संस्थाओं में रिक्त विषय के पद पर पदस्थ किया जावेगा।
15. सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला रतलाम जिले में विषयवार माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। बिन्दु 14 के अनुसार संशोधित पदस्थापना की जावेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(रंजना सिंह)

संभागीय उपायुक्त
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग
उज्जैन संभाग उज्जैन

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य म.प्र. भोपाल ।
6. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन ।
7. कलेक्टर उज्जैन/देवास/रतलाम/शाजापुर/आगर मालवा/मंदसौर/नीमच म.प्र. ।
8. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य रतलाम एवं जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जिला उज्जैन/देवास/शाजापुर/आगर मालवा/मंदसौर/नीमच की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें । दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें ।
9. जिला कोषालय अधिकारी उज्जैन/देवास/रतलाम/शाजापुर/आगर मालवा/मंदसौर/नीमच म.प्र. ।
10. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन/देवास/रतलाम/शाजापुर/आगर मालवा/मंदसौर/नीमच म.प्र. ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि./हाई स्कूल जिला उज्जैन/देवास/रतलाम/शाजापुर/आगर मालवा/मंदसौर/नीमच म.प्र. ।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को अपनी उपस्थिति दें ।

संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
उज्जैन संभाग उज्जैन